

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 45/23

वादी :-

- 1- रामचन्द्र पुत्र पुसाराम जाति जाट
निवासी कोड तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :-

- 1- नाथूराम पुत्र पुसाराम
2- तुलछीराम पुत्र पुसाराम
3- चैनाराम पुत्र पुसाराम
4- भंवरीदेवी पत्नी पुसाराम
5- रामीदेवी पुत्री पुसाराम
6- चन्दादेवी पुत्री मांगूराम
7- बिरजूदेवी पुत्री मांगूराम
8- छोटीदेवी पुत्री मांगूराम
9- सोनादेवी पुत्री मांगूराम

सभी जाति जाट निवासीगण कोड तहसीलदार रियांबड़ी

- 10- तहसीलदार रियांबड़ी
11- पटवारी हल्का कोड तह.रियांबड़ी।

वकील वादी:- श्री घनश्याम खालिया

वकील प्रतिवादीगण :- श्री महेन्द्र जाजड़ा


दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरुस्ती अंतर्गत धार 88 व 89 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :- 8/4/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश है :-

1- यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 हिन्दु हैतथा हिन्दु विधि की मितक्षरा शाखा से गर्वन होते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है।



2- यह है कि मौजा कोड की सरहद में स्थित खसरा नंबर 135 रकबा 1.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 107 रकबा 1.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 108 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 110 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नंबर 112 रकबा 3.6400 हैक्टर, खसरा नंबर 169 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 170 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 171 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 252 रकबा 27.7100 हैक्टर, खसरा नंबर 534 रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा नंबर 263 रकबा 9.5500 हैक्टर खसरा नंबर 287 रकबा 0.0100 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

जिला-नागौर

7-खसरा नंबर 287 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 10.4600 हैक्टर कुल रकबा 10.4700 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

8-खसरा नंबर 172 रकबा 3.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 5.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 262 रकबा 4.1000 हैक्टर कुल रकबा 13.00 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

9-खसरा नंबर 100 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 101 रकबा 8.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 102 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 109 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 122 रकबा 6.4700 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नंबर 17 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नंबर 18 रकबा 15.7400 हैक्टर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 8.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 286 रकबा 4.2300 हैक्टर, खसरा नंबर 463 रकबा 4.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 467 रकबा 2.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 474 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा नंबर 527 रकबा 1.8000 हैक्टर कुल रकबा 57.6900 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

10-खसरा नंबर 134 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नंबर 249 रकबा 1.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 261 रकबा 1.490 हैक्टर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.2100 हैक्टर कुल रकबा 4.7100 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

11-खसरा नंबर 462 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नंबर 471 रकबा 8.8500 हैक्टर कुल रकबा 9.3400 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

12-खसरा नंबर 340 रकबा 1.1300 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

13-खसरा नंबर 511 रकबा 11.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 625 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 626 रकबा 1.34 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

नोट:-राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 253, 252, 413 में वादी व प्रतिवादीगण की वल्लिदयत हरलाल दर्ज कर दी गई है। जो गलत है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की वल्लिदयत हरलाल के स्थान पर पुसाराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 की वल्लिदयत हरलाल के स्थान पर मांगूराम दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का नाम खातेदारी से हटाया जावे व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता का नाम हरलाल की जगह पुसाराम दर्ज किया जावे।

5-यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की पैतृक, काश्त व कब्जासुद भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 अपने हक की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है। तथा अपना सम्पूर्ण हक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हक में छोड़ दिया है। जिससे वादी यह खातेदारी का घोषणा का वाद पेश कर खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है वादग्रस्त खसरान की भूमि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

6-यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 निम्नलिखित तरीके से डिकी सादिर फरमाया जावे।

ए.यह है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावे। तथा राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 253, 252, 413 में वादी व प्रतिवादीगण

उपसंहार अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

की वल्लियत हरलाल दर्ज की गई, जो गलत है जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की वल्लियत हरलाल के स्थान पर पुसाराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 की वल्लियत हरलाल के स्थान पर मांगूराम दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का नाम खातेदारी से हटाया जावें। व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता का नाम हरलाल जी की जगह पुसाराम दर्ज किया जावें।

बी. यह है कि अन्य जो भी प्रार्थना वाद के हक में हो, सादिर फरमायी जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादीगण मय वकील के उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार पक्षकारान के नाम खातेदारी की घोषणा कर दी जावें। पक्षकारान सहमति से राजीनामा पेश किया गया है किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदीयां मौजा कोड संवत् 2073-76 का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की भूमि है। जो पैतृक भूमि है। अपने बंट के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते हैं। इसलिए राजीनामा भी पेश किया गया है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के नाम खातेदारी की घोषणा की जाती है। तथा इस आशय की डिकी दी जाती है कि :-

1- मौजा कोड के खसरा नंबर 552 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 553 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल रकबा 0.0300 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा व खसरा नंबर 554 रकबा 2.9800 हैक्टर प्रतिवादी नाथूराम पुत्र पुसाराम के साथ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का समान हिस्सा रखा गया है।

2 मौजा कोड के खसरा नंबर 961/469 रकबा 3.3800 हैक्टर में से प्रतिवादी चेनाराम पुत्र पुसाराम के साथ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का समान हिस्सा रखा गया है।

3- मौजा कोड के खसरा नंबर 135 रकबा 1.5200 हैक्टर में प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

4- मौजा कोड के खसरा नंबर 107 रकबा 1.5800 हैक्टर, खसरा नंबर 108 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नंबर 110 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नंबर 112 रकबा 3.6400 हैक्टर कुल रकबा 7.5000 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

5- मौजा कोड के खसरा नंबर 169 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 170 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 171 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 252 रकबा 27.7100 हैक्टर, खसरा नंबर 534 रकबा 1.5900 हैक्टर कुल रकबा 30.6500 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

6- मौजा कोड के खसरा नंबर 263 रकबा 9.5500 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

7- मौजा कोड के खसरा नंबर 287 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 10.4600 हैक्टर कुल रकबा 10.4700 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

8- मौजा कोड के खसरा नंबर 172 रकबा 3.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 5.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 262 रकबा 4.1000 हैक्टर कुल रकबा 13.00 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

9- मौजा कोड के खसरा नंबर 100 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 101 रकबा 8.6500 हैक्टर, खसरा नंबर 102 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 109 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 122 रकबा 6.4700 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नंबर 17 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा नंबर 18 रकबा 15.7400 हैक्टर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 8.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 286 रकबा 4.2300 हैक्टर, खसरा नंबर 463 रकबा 4.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 467 रकबा 2.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 474 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा नंबर 527 रकबा 1.8000 हैक्टर कुल रकबा 57.6900 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

10- मौजा कोड के खसरा नंबर 134 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नंबर 249 रकबा 1.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 261 रकबा 1.490 हैक्टर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.2100 हैक्टर कुल रकबा 4.7100 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

11- मौजा कोड के खसरा नंबर 462 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नंबर 471 रकबा 8.8500 हैक्टर कुल रकबा 9.3400 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

12- मौजा कोड के खसरा नंबर 340 रकबा 1.1300 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

13- मौजा कोड के खसरा नंबर 511 रकबा 11.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 625 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 626 रकबा 1.34 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

नोट:-राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 253, 252, 413 में वादी व प्रतिवादीगण की वल्दियत हरलाल दर्ज कर दी गई है। जो गलत है। जिससे वदी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की वल्दियत हरलाल के स्थान पर पूसाराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 की वल्दियत हरलाल के स्थान पर मांगूराम दर्ज की जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का नाम खातेदारी से हटाया जावे व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता का नाम हरलाल की जगह पुसाराम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त किया जावे। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिवासी रियांबड़ी
जिला बहागौर